

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक F4-4/765/2017/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01 जून, 2017

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।


विषय- कार्यकारी संवर्ग के मैदानी अमले में कमी के कारण समकक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर अतिरिक्त भत्ते की स्वीकृति ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मैदानी कार्यालयों में पदस्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के ऐसे शासकीय सेवकों को उनके मूल पदस्थापना के कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य समीपवर्ती कार्यक्षेत्र के समान पद का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने पर क्रमशः ₹ 500/- प्रतिमाह एवं ₹ 300/- प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त भत्ता निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया जावे :-

1. मैदानी कार्यालयों में पदस्थ कार्यकारी संवर्ग को देय होगा ।
2. संबंधित शासकीय सेवक द्वारा अपनी पदस्थापना के मूल स्थान से पृथक स्थान पर जाकर उस पद के कार्यों का संपादन किया गया हो ।
3. संबंधित शासकीय सेवक द्वारा अतिरिक्त प्रभार के पद के मूल कर्तव्यों का निष्पादन किया गया हो ।
4. यह अतिरिक्त कार्य की वास्तविक अवधि के लिये देय होगा ।
5. अवकाश अवधि में देय नहीं होगा ।
6. यह राशि सेवानिवृत्ति लाभों, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि जैसी अन्य सुविधाओं की गणना में शामिल नहीं होगी ।
7. अतिरिक्त कार्य भत्ता स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार संबंधित शासकीय सेवक के नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होंगे ।
8. यदि एक से अधिक रिक्त पदों के कार्यों का अतिरिक्त दायित्व दिया जाता है तब भी यह भत्ता केवल एक पद के लिये ही देय होगा ।
9. यह भत्ता माह जुलाई, 2017 के वेतन से भुगतान किया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुखर्जी)  
सचिव

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(शालिनी भारसकरे)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग